भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-490
उत्तर देने की तारीख-07/02/2024

निजी-परोपकार साझेदारी

490 # सुश्री कविता पाटीदारः
श्री पबित्र मार्गेरिटाः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) में उल्लिखित "निजी-परोपकार साझेदारी" जिसके परिणामस्वरूप स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों पर पूर्णरूप से कॉर्पोरेट जगत का प्रभुत्व हो जाएगा, के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ख) क्या सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 पर पुनर्विचार किया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रत्यायन ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर जोर देते हुए समान मानदंडों, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं पर किया जाना चाहिए। एनईपी 2020 में भी सभी शिक्षा संस्थानों के लिए 'गैर-लाभकारी' इकाई के रूप में लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों का प्रस्ताव है। अधिशेष, यदि कोई हो, का शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा। इसी तरह, उच्च शिक्षा में, सभी एचईआई - सार्वजनिक और निजी - को सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एक समान माना जाएगा। नियंत्रण और संतुलन के साथ कई तंत्र उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण का सामना करेंगे और उसे रोकेंगे।

स्कूलों में शुल्क और उसके घटकों से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित होते हैं। जहां तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों का संबंध है, संबद्धता उपनियम, 2018 के नियम 7.6 में बताया गया है कि राज्य

में स्थित स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में शुल्क के विनियमन से संबन्धित केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिनियमित/बनाए गाए अधिनियम और विनियम सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर भी लागू होते हैं।

विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जो अपने संबंधित अधिनियमों/संविधियों आदि द्वारा अभिशासित होते हैं। विश्वविद्यालयों की प्रकृति के आधार पर, शुल्क संरचना के मानदंड प्रशासित होते हैं। आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी/आईआईईएसटी/आईआईएम आदि के संबंध में, शुल्क संरचना संबंधित अधिनियमों/ संविधियों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होती है।

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर न खोए। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है।

समग्र शिक्षा योजना के तहत, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना लड़कियों और एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर से संबंधित बच्चों के लिए है। समग्र शिक्षा के तहत, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) स्थापित करने का प्रावधान है। केजीबीवी की स्थापना के पीछे का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करना है। इस योजना में देश भर में पूर्व-प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) भी शामिल है। समावेशन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, सीडब्ल्यूएसएन को विशिष्ट छात्र उन्मुख उपायों जैसे सहायता और उपकरण, शिक्षण सहायता, सहायक उपकरण, पहचान और मूल्यांकन शिविर, शिक्षण और अधिगम सामग्री, माता-पिता के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, शिक्षा प्रशासक, समुदाय, खेल कार्यक्रम, विश्व दिव्यांगता दिवस, ब्रेल किताबें/किट, सुधारात्मक सर्जरी, परिवहन भत्ते, एस्कॉर्ट भत्ते, वर्दी (आरटीई के तहत), लड़कियों के लिए वजीफा, सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता, आईसीटी का उपयोग आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षित रहने वाले वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु एससी/एसटी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण; एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण; जेईई परीक्षा में देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु प्रारंभिक कक्षाएं; जेईई परीक्षा स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं आदि में आयोजित करने जैसी विभिन्न पहल कर रही है।

आईआईटी और एनआईटी में एससी/एसटी/दिव्यांग छात्रों को शुल्क में पूरी छूट मिलेगी, अति आर्थिक रूप से आयंत पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है) को शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच है) को शुल्क में 2/3 की छूट मिलेगी। सभी छात्रों को देय शिक्षण शुल्क के कुल भाग के लिए ब्याज मुक्त ऋण सुलभ है।

सरकार ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को विभिन्न कार्यक्रमों में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के दाखिले के लिए समय-समय पर संशोधित केंद्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है।

विशिष्ट शिक्षण विकलांगता (एसएलडी) वाले व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वातावरण प्रदान करने हेतु एक समावेशी तंत्र विकसित करने के लिए यूजीसी द्वारा 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों हेतु पहुंच दिशानिर्देश और मानक' जारी किए गए हैं।

यूजीसी ने एचईआई में सामाजिक-आर्थिक रूप से अपेक्षित समूहों (एसईडीजी) के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ एसईडीजी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच में सुधार करना है; परिसरों में समावेशी, स्वस्थ, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के लिए एसईडीजी को बुनियादी साधन और सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करना; और सभी हितधारकों आदि को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से एसईडीजी सेल की स्थापना करना है।
